राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2001/2023
सुरेश मिश्रा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. लाखन सिंह, आरएफएस, डीएफओ, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से : श्री त्रिभुवन नारायण, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कमल माथुर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.08.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण उप वन संरक्षक, करौली से उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर किया गया है। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया है कि उक्त आदेश दिनांक 02.08.2023 के द्वारा ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 लाखन सिंह का स्थानांतरण भी किया गया है जो उप वन संरक्षक प्रावैधिक सहायक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर से उप वन संरक्षक करौली, अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। उनका यह भी कथन है कि निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन स्थान गलत रूप से उप वन संरक्षक प्रावैधिक सहायक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक दर्शाया गया है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश बिना विवेक के जारी किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में जारी किया गया है और स्थानांतरण में मुख्यमंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता थी, परंतु बिना मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन के स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग ने 1 जून से 30 सितम्बर की अवधि वृक्षारोपण मौसम में स्थानांतरण पर स्थाई प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में वर्तमान स्थानांतरण आदेश जो कि विभाग की नीतियों के विरूद्ध पारित किया गया है, निरस्त किये जाने योग्य है।

2. निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि जहां तक निजी प्रत्यर्थी के स्थानांतरण आदेश के संबंध में संशोधन आदेश दिनांक 08.08.2023 को जारी किया गया है, जिसमें निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन स्थान उप वन संरक्षक, प्रावैधिक सहायक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के स्थान पर उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–।।, बीकानेर संशोधित किया गया है। ऐसे में अब स्थानांतरण आदेश में कोई त्रुटि नहीं रह गई है। उनका यह भी तर्क है कि स्थानांतरण किये जाने मे पूर्व में मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त की जा चुकी है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश किसी प्रकार से अनुचित होना नहीं माना जा सकता है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.08.2023 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एंव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आज्ञा दिनांक 04.01.2023 की पूर्ण अनुपालना में नियमानुसार राज्यहित में किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता नही रही है। नियोक्ता का यह अधिकार है कि वह अपने अधीन कार्यरत किसी नियोजक को एक स्थान से दूसरी जगह हस्तांतरित कर सकता है। अतः इस आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना नही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि स्थानान्तरण आदेशों को नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थी उक्त तथ्यों को वर्तमान प्रकरण में स्थापित करने में असमर्थ रहा है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार वन विभाग की स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति के बिन्दू संख्या 4.4 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश से पीडित हो तो वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस की अवधि के भीतर राज्य सरकार/सम्बन्धित अधिकारी को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने आलौच्य स्थनान्तरण आदेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का लिखित अभ्यावेदन नीयत समयावधि में विभाग के समक्ष प्रस्तुत नही किया है एवं

अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधानों की पालना किये बिना सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। अतः अपील अपीलार्थी प्रीमैच्योर होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण किये जाने हेतु वन मंत्रालय राजस्थान से प्राप्त सूची को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आज्ञा दिनांक 04.01.2023 की अनुपालना में दिनांक 26.07.2023 को अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 27.07.2023 को आदेश दिनांक 26.07.2023 की अनुपालना में पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति हेतु प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार भिजवायी गई जिस पर दिनांक 02.08.2023 को राजस्थान वन सेवा अधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण प्रस्ताव पर सक्षम स्तर (माननीय मुख्यमंत्री महोदय) से शिथिलन/अनुमोदन प्राप्त हुआ एवं उसके पश्चात् नियमानुसार अनुमोदन/शिथिलन प्राप्त हो जाने के बाद ही विभागीय स्थानान्तरण आदेश 02.08.2023 जारी किये गये है । इस प्रकार स्पष्ट है कि आक्षेपित विभागीय आदेश जारी किये जाने से पूर्व प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आज्ञा दिनांक 04.01.2023 की पूर्ण रूप से पालना की गई है।

4. पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग के स्थानांतरण पर प्रतिबंध की आज्ञा दिनांक 04.01.2023 में यह प्रावधान है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति के बाद स्थानांतरण आदेश पारित किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्थानांतरण के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके पश्चात स्थानांतरण आदेश दिनांक 02.08.2023 जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग की आज्ञा दिनांक 04.01.2023 की पूर्ण रूप से पालना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया अनुमोदन अनुलग्नक–आर1 के रूप में प्रस्तुत है। ऐसे में हम यह पाते हैं कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग द्वारा स्थानांतरण पर लगाये गये प्रतिबंध की आज्ञा का उल्लंघन वर्तमान प्रकरण में नहीं हुआ है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानांतरण आदेश में निजी प्रत्यर्थी का स्थान गलत अंकित है, जिसे अनुमोदित कराया गया है। बाद में संशोधित आदेश पारित किया गया है, जिसे अनुमोदित नहीं कराया गया है। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों के संबंध में हमारा मत है कि पूर्व में निजी प्रत्यर्थी का

स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किये जाने और अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्यत्र किये जाने का अनुमोदन मुख्यमंत्री के स्तर पर किया जा चुका है, तो उसके पश्चात संशोधित आदेश जिसके द्वारा केवलमात्र निजी प्रत्यर्थी का वर्तमान पदस्थापित स्थान लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत अंकित हो जाने का संशोधन जारी किया गया है, उसे अनुमोदित कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग की नीति के अनुसार 1 जून से 30 सितम्बर की अवधि में वृक्षारोपण के मौसम में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, इस संबंध में हमारा विचार है कि वर्तमान में अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश को इस अधिकरण के अंतरिम आदेश दिनांक 29.08.2023 के आधार पर प्रभाव नहीं दिया गया। ऐसे में उक्त अवधि 1 जून से 30 सितम्बर के मध्य अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश को प्रभाव में नहीं लाया गया है और वर्तमान में प्रत्यर्थी विभाग की नीति के अनुसार वृक्षारोपण का मौसम समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब अपीलार्थी के स्थानांतरण के संबंध में स्थानांतरण आदेश को प्रभावी किये जाने में कोई पाबन्दी नहीं रही है।

5. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश दिनांक 02.08.2023 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है। इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.08.2023 निरस्त किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)